हेलंग-मारवाड़ी बाईपास को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

चर्चा में क्यों?

13 मई, 2022 को ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत बदरीनाथ हाईवे पर प्रस्तावित हेलंग-मारवाड़ी बाईपास मार्ग के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इसका निर्माण कार्य जुलाई में शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

- इस बाईपास मार्ग के निर्माण से बदरीनाथ धाम की दूरी 30 किमी. कम हो जाएगी। साथ ही चीन सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी।
- ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत जोशीमठ से 13 किमी. पहले हेलंग-मारवाड़ी बाईपास मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। जोशीमठ नगर के निचले हिस्से में करीब 5 किमी. तक इस मार्ग का निर्माण होगा।
- गौरतलब है कि 'जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति' ने मार्ग के विरोध में करीब एक वर्ष तक आंदोलन किया, जिस कारण निर्माण नहीं हो पाया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा।
- चीन सीमा क्षेत्र तक सेना की आवाजाही को सुगम बनाने का हवाला देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बाईपास मार्ग के निर्माण को ज़रूरी बताया, जिसके बाद मार्ग निर्माण को न्यायालय से हरी झंडी मिल गई है।
- बाईपास मार्ग के निर्माण से बदरीनाथ धाम की दूरी 30 किमी. कम हो जाएगी। अभी तक तीर्थयात्री हेलंग से जोशीमठ होते हुए मारवाड़ी पहुँचते रहे हैं, इसकी दूरी 20 किमी. है, जबकि प्रस्तावित बाईपास हेलंग-मारवाड़ी मार्ग करीब 5 किमी. का है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/helang-marwari-bypass-cleared-by-supreme-court